

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग,
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //


नया रायपुर, दिनांक 28.12.17

क्रमांक एफ 10-5/2016/16 :- राज्य शासन एतद्वारा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा संचालित ई-रिक्शा सहायता योजना बाबत अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2016/16, दिनांक 20/12/2016 की कंडिका (ब)(i) को विलोपित करते हुए निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाता है :-

(ब) योजना की पात्रता :-

“(i) असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत पंजीकृत सायकल रिक्शा चालक/आटो चालक अथवा पंजीकृत श्रमिकों के पंजीकृत समूह।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(तीरथ प्रसाद लड़िया)
अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग
नया रायपुर, दिनांक 28.12.17


पृष्ठांकन एफ 10-5/2016/16

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
2. निज सहायक, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ0ग0)।
3. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)।
4. कलेक्टर जिला- (छ0ग0)।
5. नोडल अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल, नया रायपुर (छ0ग0)।
6. सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय (छ0ग0)।
7. उप संचालक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त अधिसूचना आगामी राजपत्र में प्रकाशन उपरांत इसकी 100 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

8. गार्ड फाईल।


अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग